प्रेस नोट **दिनांक 31.07.2026**

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा पुलिस लाइन स्थित विभिन्न कार्यालयों एवं गार्दो के रजिस्टर का निरीक्षण कर दिये गये आवश्यकत दिशा निर्देश-

आज पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा पुलिस लाइन स्थित विभिन्न शाखा कार्यालयों एवं गार्दो के रजिस्टर का सघन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्यालयों एवं गार्दो में संधारित विभिन्न रजिस्टरों, अभिलेखों तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों की गहन जांच की गई।

महोदय द्वारा कार्यालयों की कार्यप्रणाली, अभिलेखों के सुव्यवस्थित रख-रखाव, स्वच्छता एवं अनुशासन का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी रजिस्टरों को नियमित रूप से अद्यतन रखा जाए तथा प्रत्येक अभिलेख का सही एवं समयबद्ध संधारण सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने कहा कि इस प्रकार के नियमित निरीक्षण का उद्देश्य पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाना तथा पुलिस लाइन की व्यवस्थाओं को उच्च स्तर पर बनाए रखना है।

अपहरण करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से अपहृता सकुशल बरामद –

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद के कुशल नेतृत्व में दिनांक 30.07.2026 को समय करीब 20:10 बजे थाना मुहमम्मदाबाद पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर चालिसवां पेट्रोल पम्प के पास मु0अ0स0 139/26 धारा 137(2), 87 बीएनएस से संबंधित अभियुक्त शिवम पुत्र रामआशीष, निवासी ग्राम जमीन नरहन, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़, को गिरफ्तार कर अपहृत नाबालिग पीड़िता को सकुशल बरामद कर लिया गया तथा अभियुक्त को चालान मा0 न्यायालय किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

1. शिवम पुत्र रामआशीष, निवासी ग्राम जमीन नरहन, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़, ।

पंजीकृत अभियोंग-

1. मु0अ0स0 139/26 धारा 137(2), 87 बीएनएस।

गिरफ्तारी का दिनांक व समय

1. दिनांक 30.07.2026
2. समय करीब 20:10 बजे।

थाना सरायलखन्सी साइबर पुलिस द्वारा पीडित की फ्रॉड हुयी कुल धनराशि 25622-/ (पच्चीस हजार छः सौ बाइस) रुपये पीडित को वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के कुशल निर्देशन में साइबर फ्राड रोकथाम व जागरुकता के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर व प्रभारी निरीक्षक सरायलखन्सी के कुशल नेतृत्व में थाने पर नियुक्त साइबर पुलिस टीम द्वारा पीडित आदर्श तिवारी निवासी काझाखुर्द थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ की 25622/- रुपये की धनराशि अंजान व्यक्ति द्वारा फ्राड कर ली गयी। जिसके सम्बन्ध में आवेदकों द्वारा समय रहते साइबर कम्प्लेन की शिकायत की गयी। उक्त शिकायत के आधार पर थाना सरायलखन्सी में नियुक्त साइबर टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये पीड़ित के खाते से फ्राड हुई सम्पूर्ण धनराशि 25622 /- रुपये वापस कराया गया।

थाना साइबर क्राइम मऊ द्वारा साइबर ठगी के एक पीड़ित के खाते में 48000/- रुपये कराया गया वापस।

पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद मऊ के कुशल निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में साइबर फ्राड रोकथाम व जागरुकता के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर महोदय व प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम के कुशल नेतृत्व में थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा साइबर पोर्टल शिकायत संख्या 23106260110658 आवेदक डॉ0 गिरीश राय निवासी कसारा थाना कोपागंज जनपद मऊ के खाते से अज्ञात व्यक्ति के द्वारा आवेदक के खाते से 50300/- रूपये फ्रॉड कर लेने सम्बन्ध में आवेदक द्वारा समय रहते साइबर कम्प्लेन की शिकायत थाना साइबर क्राइम पर की गयी। उक्त शिकायत के आधार पर थाना साइबर क्राइम मऊ में नियुक्त साइबर टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए धनराशि को होल्ड कराने हेतु बैंको से

समन्वय स्थापित करते हुये आवेदक डॉ0 गिरीश राय निवासी कसारा थाना कोपागंज जनपद मऊ के खाते से फ्राड हुई 48000/- रुपये आवेदक के खाते मे वापस कराया गया।

थाना मधुबन साइबर पुलिस द्वारा 02 पीडितों की फ्रॉड हुयी कुल धनराशि 4380-/ (चार हजार तीन सौ अस्सी रुपये) रुपये पीडित को वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के कुशल निर्देशन में साइबर फ्राड रोकथाम व जागरुकता के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर व प्रभारी निरीक्षक मधुबन के कुशल नेतृत्व में थाने पर नियुक्त साइबर पुलिस टीम द्वारा पीडितगण वसीम खान पुत्र अशरफ अहमद खान निवासी दुबारी थाना मधुबन जनपद मऊ की कुल 2380/- रुपये, 2. प्रभाकर सिंह थाना मधुबन जनपद मऊ की कुल धनराशि 2000/- रुपये की धनराशि अंजान व्यक्ति द्वारा फ्राड कर ली गयी । जिसके सम्बन्ध में आवेदकों द्वारा समय रहते साइबर कम्प्लेन की शिकायत की गयी । उक्त शिकायत के आधार पर थाना मधुबन में नियुक्त साइबर टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये पीड़ित के खाते से फ्राड हुई सम्पूर्ण धनराशि 4380 /- रुपये वापस कराया गया।

गुम/खोये हुए कुल 01 अदद मोबाइल फोन कीमत लगभग 10,000/- साइबर पुलिस टीम थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ द्वारा वापस कराया गया-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में द्वारा गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना दक्षिण टोला पुलिस द्वारा आज दिनांक 31.07.2026 को गुम हुए 01 अदद मोबाइल फोन पीडिता, यासमीन पत्नी इम्तियाज निवासी हकीकतपुरा दक्षिण टोला जनपद मऊ द्वारा सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से बरामद कर उसके मालिक तस्दीक कर सुपुर्द किया गया।

मऊ पुलिस आमजन से अपील करती है किं मोबाइल फोन गुम होने की स्थिति में तत्काल CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराये अथवा साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर सम्पर्क करें जिससे त्वरित कार्यवाही कर गुमशुदा मोबाइल की बरामदगी सुनिश्चित की जा सके।

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा साइबर पुलिस द्वारा पीडित की फ्रॉड हुयी कुल धनराशि 74999-/ (चौहत्तर हजार नौ सौ निन्यानवे रुपये) रुपये पीडित को वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के कुशल निर्देशन में साइबर फ्राड रोकथाम व जागरुकता के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर के कुशल नेतृत्व में थाने पर नियुक्त साइबर पुलिस टीम द्वारा पीडित मिस्बाउल हक निवासी कोतवाली नगर जनपद मऊ की 74999/- रुपये की धनराशि अंजान व्यक्ति द्वारा फ्राड कर ली गयी। जिसके सम्बन्ध में आवेदकों द्वारा समय रहते साइबर कम्प्लेन की शिकायत की गयी। उक्त शिकायत के आधार पर थाना कोतवाली में नियुक्त साइबर टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये पीड़ित के खाते से फ्राड हुई सम्पूर्ण धनराशि 74999/- रुपये वापस कराया गया।

जनपद मऊ पुलिस लाईन सभागार मे आज दिनांक 31.07.2026 को, अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत होने वाले पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगणों के विदाई समारोह का आयोजन हुआ जिसमें, पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर, अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार, क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह, काफी संख्या में पुलिस कर्मचारीगण एवं निम्नलिखित समस्त सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे-

सेवानिवृत्त होने वाले अधि0/कर्मचारीगण-

1. पुलिस उपाधीक्षक श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय।
2. रेडियों उ0नि0 श्री जितेन्द्र कुमार सिंह।
3. उ0नि0 श्री मिथिलेश कुमार सिंह।
4. उ0नि0 श्री चन्द्र प्रकाश उपाध्याय।
5. उ0नि0 श्री राधेश्याम सिंह।
6. उ0नि0 श्री बृजेश कुमार।
7. उ0नि0 श्री सीताराम।
8. उ0नि0 श्री रामाश्रय राम।
9. मु0आ0 श्री राम करन राम।
10. रीडिंग फा0 मैन श्री रामकरन राम।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उक्त समस्त सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारीगणों को मोमेंटो, शॉल प्रशस्ति पत्र, श्री रामचरितमानस व उपहार आदि देकर भावभीनी विदाई दी गई तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गयी।

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत दुष्कर्म करने वाला 01 अभियुक्त को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा व 45,000 /- रु0 के अर्थदण्ड से कराया गया दण्डित।

पुलिस महानिदेशक उ0 प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित मु0अ0सं0 68/2023 धारा 363,376AB भादवि व 5m/6 पाक्सो एक्ट थाना मधुबन जनपद मऊ की साक्ष्यपरक विवेचक एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 31.07.2026 को मा0 न्यायालय द्वारा दुष्कर्म करने वाला एक अभियुक्त बबलू पुत्र मो0 शब्बीर निवासी- उसरी पिपरी वार्ड नं- 13 थाना मधुबन जनपद मऊ, को 20 वर्ष कारावास की सजा व कुल 45,000 /- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दंड ना अदा करने पर 02 माह का अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जाएगा।

<u>लंबित विवरण यात्रा भत्ता</u>

माह अप्रैल से 30.07.2026 तक प्राप्त यात्रा भत्ता के असरो की कुल संख्या – 2534

(पुलिस लाइन/विभिन्न शाखा/जनपद के समस्त थाना)

लंबित असरो की अनुमानित धनराशि – 1,11,35,710

थाना रामपुर, कोतवाली, चिरैयाकोट, पुलिस लाइन जमा करने हेतु शेष माह जुलाई।

दिनांक 31.03.2026 को प्राप्त थाना रामपुर, चिरैयाकोट, रानीपुर, मुहम्मदाबाद असरो की संख्या – 463 भुगतान हेतु शेष। अनुमानित धनराशि 15 लाख।